टी–4 / योजना(पी0एम0–सेतु)–02 / 2026 788 /

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04.05.2026 /

विषयः– कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई0 टी0 आई0 (पी0 एम0 – सेतु)" योजनान्तर्गत राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किये जाने के निमित्त कुल लागत रूपये 3615.00 करोड़ (रूपये तीन हजार छः सौ पन्द्रह करोड मात्र) एवं राज्यांश 33% रूपये 1192.95 करोड़ (एक हजार एक सौ बानवे करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र के साथ पी0 एम0 – सेतु निर्गत दिशा निर्देश अंगीकृत करते हुए योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी.एम.सेतु योजना के माध्यम से 'सरकार स्वामित्व, उद्योग प्रबंधित' मॉडल में पुर्नपरिकल्पित करना एवं उन्नत आधारभूत संरचना के साथ अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनाने तथा इसके अंतर्गत राज्य के युवाओं को उद्योग जगत की भागीदारी से रोजगारोन्मुखी उद्योग आधारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई0 टी0 आई0 (पी0 एम0 – सेतु)" योजनान्तर्गत राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किये जाने के निमित्त कुल लागत रूपये 3615.00 करोड़ (रूपये तीन हजार छः सौ पन्द्रह करोड मात्र) एवं राज्यांश 33% रूपये 1192.95 करोड़ (एक हजार एक सौ बानवे करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र के साथ पी0 एम0 – सेतु निर्गत दिशा निर्देश अंगीकृत करते हुए योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
3. इस योजना के अन्तर्गत राज्य के व्यावसायिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 15 क्लस्टर (प्रति क्लस्टर में 01 हब एवं 04 स्पोक) के रूप में विकसित किया जायेगा। वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत 04 क्लस्टर एवं शेष 11 क्लस्टर को दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा।
4. इस योजना का कुल लागत का केन्द्रांश 50%, राज्यांश 33% एवं उद्योग अंश न्यूनतम 17% है। यदि परियोजना लागत में उद्योग का योगदान 17% से अधिक होता है, तो राज्य के आवश्यक योगदान में उसी अनुपात में कमी कर दिया जायेगा और यदि उद्योग

का योगदान 17% से कम होता है, तो राज्य को उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त आवश्यक राशि का आकलन के पश्चात् बजट उपबंध की जायेगी।

5. योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में क्लस्टर की पहचान एवं अन्य नीतिगत निर्णयों हेतु विभागीय संकल्प संख्या–2971 दिनांक–01.12.2025 में वर्णित भूमिका एवं दायित्व निर्धारित करते हुए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमिटी का गठन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

1	मुख्य सचिव, बिहार, पटना	– अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	– सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना	– सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	– सदस्य
5	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	– सदस्य सचिव
6	क्षेत्रीय निदेशक, RDSDE, बिहार	– सदस्य
7	निदेशक, टी0आर0टी0सी0, पटना	– सदस्य
8	बिहार इंडस्ट्री एसोशियेशन के एक प्रतिनिधि	– सदस्य
9	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित प्रतिनिधि	– सदस्य

6. स्टेट स्टेरिंग कमिटी क्लस्टर स्तर की योजनाओं की मंजूरी एवं प्रत्येक कलस्टर के लिए गठित स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस0पी0भी0) का प्रबंधन हेतु आवश्यक नितिगत निर्णय लेगी।

7. प्रत्येक क्लस्टर के प्रबंधन के लिए 'कंपनी अधिनियम, 2013' की धारा 8 के तहत एक गैर–लाभकारी एस0पी0भी0 (सेक्शन 8 कंपनी) बनाई जाएगी, जो पाठ्यक्रम शुरू करने, प्रशिक्षकों के प्रबंधन (भर्ती और प्रशिक्षण), वित्तीय संचालन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पूर्ण स्वायत्त होगी। प्रति क्लस्टर के लिए एक एस्क्रो एकाउन्ट खोला जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग तीनों पक्ष अपना–अपना अंश निकासी कर इसी बैंक खाते में जमा करेंगे।

8. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन नोडल एजेंसी होगी। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा योजना की प्रगति के सत्यापन हेतु एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी नियुक्त की जाएगी।

9. नोडल एजेंसी द्वारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं एंकर इंडस्ट्री पार्टनर का चयन निविदा/नामांकन के माध्यम से किया जाएगा।

10. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026--27 से 2029–30 में लागू होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संभावित व्यय रू0–318.12 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2027–28 से 2029–30 तक प्रत्येक वर्ष रू0–291.61 करोड़ की दर से शेष तीन वर्षों में कुल रू0 874.83 करोड़ होगी।

11. इस योजना में केन्द्र का अंश मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जायेगा। इसके लिए अलग से पूंजीगत व्यय का शीर्ष खोलकर राशि का व्यय किया जायेगा। राज्यांश की राशि पर होने वाले व्यय की निकासी मुख्य शीर्ष 2230– श्रम रोजगार और

कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0338– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना विपत्र कोड– 53–2230030030338 से किया जायेगा।

12. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।
13. इस योजना हेतु उपबंधित राशि की अग्रिम निकासी कर इस योजना के लिए बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा खोले गए बैंक खाते में हस्तानांतरित की जायेगी।
14. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S. Aayaf
04/05/26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– टी–4/योजना(पी0एम0–सेतु)–02/2026.788./पटना, दिनांक– 04.05.2026

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Aayaf
04/05/26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– टी–4/योजना(पी0एम0–सेतु)–02/2026.788./पटना, दिनांक– 04.05.2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/सभी स्थापना शाखा, भवन शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा, मासिक व्यय शाखा, योजना शाखा एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Aayaf
04/05/26

सरकार के उप सचिव